

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत मानित विश्वविद्यालय)
17-बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

फा.सं. 12/02/2023/टीसी/विविध/नीपा
मई 4, 2023

अधिसूचना

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सदस्यों के साथ एक 'प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास समिति' का गठन किया गया है, जो विभागाध्यक्षों/केंद्र/नीपा के एककों की सहमति प्राप्त करने के बाद तैयार की गई 'संदर्भ की शर्तों' के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करेंगी:-

| संदर्भ की शर्तें | प्राधिकारी | अध्यक्ष |
|--------------------------------|---|---------|
| 1. प्रो. के. बिस्वाल | विभागाध्यक्ष, शैक्षिक योजना विभाग, नीपा | अध्यक्ष |
| 2. प्रो. मधुमिता बंद्योपाध्याय | विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, नीपा | सदस्य |
| 3. प्रो रस्मिता दास स्वार्च | विद्यालय एवं अनौपचारिक शिक्षा विभाग, नीपा | सदस्य |
| 4. प्रो. नीरु स्नेही | उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग, नीपा | सदस्य |
| 5. डॉ. सांत्वना जी. मिश्रा | सह-प्रोफेसर, शैक्षिक योजना विभाग, नीपा | सदस्य |
| 6. डॉ. मोना सेदवाल | सहायक प्रोफेसर, शिक्षा में प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक विकास विभाग, नीपा | सदस्य |
| 7. सुश्री सोनम आनंद सागर | प्रभारी, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ, नीपा | संयोजक |

संदर्भ की शर्तें इस अधिसूचना के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न हैं।


(डॉ. संदीप चटर्जी)
कुलसचिव

प्रति,

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. सभी संकाय सदस्य
2. कुलपति के वरिष्ठ निजी सचिव
3. कुलसचिव के निजी सहायक
4. प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)
5. सिस्टम एनालिस्ट- इसे नीपा की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ
6. छात्रावास वार्डन
7. प्रभारी, सामान्य प्रशासन
8. मास्टर फाइल
9. कार्यालय आदेश फाइल